

18.4.22

पञ्चावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर
पञ्चावली का अवलोकन किया गया।
प्रार्थना पत्र ओमप्रकाश, कमलेश,
बालूलाल प्रभु प्रभु तथा कमली
पत्नी प्रभु की ओर से पेश किया
गया है, परंतु प्रार्थना पत्र पर केवल
ओमप्रकाश एवं कमलेश के ही हस्ताक्षर
हैं। वकालतनामा पर भी केवल
ओमप्रकाश एवं कमलेश के ही हस्ताक्षर
हैं। प्रार्थना पत्र के साथ ओमप्रकाश एवं
कमलेश के द्वारा प्रार्थना/दवा पेश
करने हेतु सच्ची प्रार्थीगणों की तरफ
से कोई प्रमाण पत्र/Power of attorney
की संलग्न नहीं है। निम्नानुसार
प्रार्थना पत्र के सभी पृष्ठों तथा
वकालतनामा पर सच्ची प्रार्थियों/वकीलों
के हस्ताक्षर होने चाहिए। यथा
आवश्यक शर्तों की पालना नहीं
करे जाने के कारण प्रार्थना पत्र
खारिज किया जाता है। निर्णय
कुल न्यायालय में सुनाया गया।
पञ्चावली फैसल शुमार होपर नंबर
से बंद हो।

उप ~~खण्ड~~ अधिकारी
दोस्त (राज)

